

अध्याय 38. श्रावक की ग्यारह प्रतिमाएँ

1. **श्रावक किसे कहते हैं ?**
श्रद्धावान, विवेकवान एवं क्रियावान को श्रावक कहते हैं।
2. **श्रावक के कितने भेद हैं ?**
श्रावक के तीन भेद हैं-पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक एवं साधक श्रावक।
 1. **पाक्षिक श्रावक** - जो श्रावक के षट् आवश्यक का पालन करता हो, स्थूल रूप से अष्ट मूलगुणधारी हो और सप्तव्यसन का त्यागी हो। ऐसा जिनेन्द्र भगवान् का पक्ष लेने वाला पाक्षिक श्रावक कहलाता है। यह रात्रिभोजन का त्यागी होता है। विशेष-रात्रि में औषध लेना पड़ती हो तो वह औषध एवं जिससे औषध लेना है, ऐसा जल, दूध ले सकता है।
 2. **नैष्ठिक श्रावक** - दर्शन प्रतिमा आदि ग्यारह प्रतिमाओं वाला श्रावक नैष्ठिक श्रावक कहलाता है।
 3. **साधक श्रावक** - (अ) जो समाधिमरण की साधना में लगा है, वह साधक श्रावक कहलाता है। (ब) जो श्रावक आनन्दित होता हुआ जीवन के अंत में अर्थात् मृत्यु के समय शरीर, भोजन और मन, वचन, काय के व्यापार के त्याग से पवित्र ध्यान के द्वारा आत्मा की शुद्धि के लिए साधना करता है, वह साधक श्रावक है। (सागारधर्मावृत, 1/20)
3. **नैष्ठिक श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओं के नाम क्या है ?**
दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषधोपवास प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रिभुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरम्भ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। (रत्नकरण्डक श्रावकाचार, 136)
4. **प्रतिमा किसे कहते हैं ?**
श्रावक के विकासशील चारित्र का नाम प्रतिमा है।
5. **दर्शन प्रतिमा किसे कहते हैं ?**
जो सम्यग्दर्शन से शुद्ध है, संसार, शरीर और भोगों से उदास है, पञ्चपरमेष्ठियों के चरणों की शरण जिसे प्राप्त हुई है तथा धारण किए हुए अष्टमूलगुण एवं सप्तव्यसन के त्याग में अतिचार नहीं लगाता है। उसके दर्शन प्रतिमा होती है। यह शल्यों से रहित होता है। मर्यादा का भोजन नियम से प्रारम्भ हो जाता है। प्रतिमाधारी श्रावक सूर्य अस्त के दो घड़ी पहले भोजन कर लेता है एवं सूर्योदय के दो घड़ी बाद से भोजन प्रारम्भ कर सकता है।
6. **शल्य किसे कहते हैं एवं कितनी होती हैं ?**
जो आत्मा में काँटे की तरह चुभती हैं, दुःख देती हैं, उसे शल्य कहते हैं। शल्य तीन होती हैं-मिथ्या शल्य, माया शल्य और निदान शल्य। (सर्वार्थसिद्धि, 7/18/697)
 1. **मिथ्या शल्य**- सत्य श्रद्धान न होते हुए व्रतों को धारण करना।

2. **माया शल्य-** मेरे अपध्यान को कोई नहीं जानता, इस अभिप्राय से बाह्य वेश का आचरण करके लोगों को आकर्षित करते हुए चित्त की मलिनता रखने को माया शल्य कहते हैं।
3. **निदान शल्य-** व्रतों के फलस्वरूप आगामी विषय भोगों की आकांक्षा रखना, निदान शल्य है।
7. **व्रत प्रतिमा किसे कहते हैं ?**
निरतिचार पूर्वक पाँच अणुव्रतों और सात शीलों का पालन करता है, वह व्रत प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। (र. क. श्रा., 138 का विशेषार्थ)
8. **अणुव्रत एवं शीलव्रत किसे कहते हैं ?**
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करने को अणुव्रत कहते हैं तथा 3 गुणव्रत एवं 4 शिक्षाव्रत का पालन करना शीलव्रत है।
9. **5 अणुव्रत और 7 शील के नाम बताइए ?**
अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। 7 शील अर्थात् 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत।
10. **अहिंसाणुव्रत किसे कहते हैं ?**
जो मन, वचन व काय से संकल्प पूर्वक त्रस जीवों का घात न स्वयं करता है, न दूसरों से कराता है और न करने वाले की अनुमोदना करता है तथा निष्प्रयोजन पञ्चस्थावरों की हिंसा नहीं करता है, उसका अहिंसाणुव्रत कहलाता है। (र.क.श्रा., 53)
11. **अतिचार एवं अनाचार किसे कहते हैं ?**
व्रतों का एकदेश भङ्ग हो जाना, अतिचार है और व्रतों का सर्वथा भङ्ग हो जाना, अनाचार है।
12. **अहिंसाणुव्रत के कितने अतिचार हैं ?**
अहिंसाणुव्रत 5 अतिचार हैं -
 1. **बंध** - मानव, पशु, पक्षियों को ऐसा बाँधना जिससे वह इच्छानुसार विचरण न कर सकें।
 2. **वध**- हन्टर, चाबुक, छड़ी, हाथ-पैर आदि से पीटना। यहाँ वध से आशय प्राणों के वियोग से नहीं है, वह तो अनाचार है।
 3. **छेद**- कषाय वश किसी के अङ्ग-उपाङ्गों का छेदन करना। शृंगार के लिए बालिकाओं के नाक-कान भी छेदे जाते हैं, वह इसमें नहीं आते हैं।
 4. **अतिभारारोपण** - पशुओं पर शक्ति से ज्यादा भार लदना। नौकरों से ज्यादा काम लेना।
 5. **अन्नपान निरोध** - समय पर पशुओं को भोजन नहीं देना। नौकरों को भी समय से भोजन के लिए नहीं जाने देना (सर्वार्थसिद्धि, 7/25/711) एवं महिलाएँ समय से भोजन नहीं बनाती तो यह भी अन्नपान निरोध है।
13. **सत्याणुव्रत किसे कहते हैं ?**
स्थूल झूठ स्वयं नहीं बोलता और न दूसरों से बुलवाता है तथा ऐसा सत्य भी नहीं बोलता, जिससे कोई विपत्ति में आ जाएँ, उसे सत्याणुव्रत कहते हैं। (रत्नकरण्डकश्रावकाचार, 55)
14. **स्थूल झूठ किसे कहते हैं ?**

जिसे लोक व्यवहार में अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे-

1. शपथ लेकर अन्यथा कथन करना।
2. पञ्च या जज के पद पर प्रतिष्ठित होकर झूठ बोलना। जैसे-राजा वसु ने किया था।
3. धर्मोपदेष्टा बनकर अन्यथा उपदेश देना। जैसे-पञ्चमकाल में मुनि नहीं होते और आज एक भी प्रतिमा का पालन नहीं हो सकता।
4. विश्वास देकर झूठ बोलना। जैसे-सत्यघोष ने किया था।

15. सत्याणुव्रत के कितने अतिचार हैं ?

सत्याणुव्रत के पाँच अतिचार हैं-

1. मिथ्या उपदेश - झूठा उपदेश देना।
2. रहोभ्याख्यान - स्त्री-पुरुष द्वारा एकान्त में किए गए आचरण विशेष का प्रकट कर देना।
3. कूटलेख क्रिया - नकली दस्तावेज रखना। कोरे कागज पर साइन करवाना। झूठे लेख लिखना।
4. न्यासापहार - किसी की धरोहर का अपहरण करना।
5. साकार मंत्रभेद - कोई आपस में चर्चा कर रहे थे, उनकी मुख की आकृति से जानकर, यह क्या बात कर रहे थे, कह देना जिससे उनकी बदनामी हो इसे चुगली भी कह सकते हैं। (स.सि., 7/26/712)

16. अचौर्याणुव्रत किसे कहते हैं ?

जल, मिट्टी एवं जङ्गल में जो लकड़ी सूख कर गिर गयी है, इसके अलावा दूसरों की रखी हुई, गिरी हुई, भूली हुई अथवा नहीं दी हुई वस्तु को न तो स्वयं ग्रहण करता है। न दूसरों को देता है, वह अचौर्याणुव्रत कहलाता है।

17. अचौर्याणुव्रत के कितने अतिचार हैं ?

अचौर्याणुव्रत के पाँच अतिचार हैं-

1. स्तेनप्रयोग - चोरी के लिए प्रेरित करना तथा चोरी का तरीका बताना।
2. तदाहतादान - चोरी का माल खरीदना।
3. विरुद्ध राज्यातिक्रम - राज्य नियम के विरुद्ध टैक्स चोरी करना, अधिक स्टॉक रखकर काला बाजारी करना आदि।
4. हीनाधिक मानोन्मान - तौलने के बाँट को मान कहते हैं, तराजू को उन्मान कहते हैं। बाँट तराजू दो प्रकार के रखना। कम से देना, अधिक से लेना।
5. प्रतिरूपक व्यवहार - एक-सी दिखने वाली सस्ती वस्तु को मिलाकर महंगे भाव में बेचना। जैसे- खसखस में सूजी, कालीमिर्च में पपीता के बीज, हल्दी में ज्वार का आटा। आज शास्त्रों में भी मिलावट आ गई है, ऊपर आचार्यों के नाम ज्यों-के-त्यों रहते हैं और हिन्दी टीका, भावार्थ एवं विशेषार्थों में अपने अर्थों को समाहित कर दिया जाता है।

18. ब्रह्मचर्याणुव्रत किसे कहते हैं ?

जिससे विवाह हुआ उस स्त्री के अलावा वह अन्य स्त्रियों को माता, बहिन एवं बेटे के समान समझता है अर्थात् सबसे विरक्त रहता है, उसके इस व्रत को स्वदार संतोष या ब्रह्मचर्याणुव्रत कहते हैं। अथवा जो पाप के भय से दूसरे की स्त्री को नहीं चाहता और न दूसरों को ऐसा करने के लिए कहता है। अपनी स्त्री

में ही संतुष्ट रहता है, उसे स्वदार संतोष व्रत या ब्रह्मचर्याणुव्रत कहते हैं। (रत्नकरण्डकश्रावकाचार, 59)

19. ब्रह्मचर्याणुव्रत के कितने अतिचार हैं ?

ब्रह्मचर्याणुव्रत के पाँच अतिचार हैं-

1. **परविवाहकरण** - अपनी या अपने आश्रित भाई आदि की संतान को छोड़कर अन्य लोगों की संतानों का विवाह प्रमुख बनकर करना। दलाली करना, कुण्डली मिलवाना आदि।
2. **इत्वरिकाअपरिगृहीतगमन** - पति रहित व्यभिचारिणी स्त्रियों के पास आना-जाना, लेन देन रखना।
3. **इत्वरिकापरिगृहीतगमन** - पति सहित व्यभिचारिणी स्त्रियों के पास आना-जाना, लेन-देन रखना।
4. **अनङ्गक्रीडा** - कामसेवन के निश्चित अङ्गों को छोड़कर अन्य अङ्गों से काम सेवन करना।
5. **कामतीव्राभिनिवेश** - हमेशा काम की तीव्र लालसा रखना। (स.सि., 7/28/714)

20. परिग्रह परिमाणव्रत किसे कहते हैं ?

धन, धान्य आदि दस प्रकार के बाह्य परिग्रह का प्रमाण करके उससे अधिक में इच्छा रहित होना, परिग्रह परिमाणव्रत है। इसका दूसरा नाम इच्छा परिमाणव्रत भी है।

21. परिग्रह परिमाणव्रत के कितने अतिचार हैं ?

दस प्रकार के परिग्रह के प्रमाण का उल्लंघन करना। क्षेत्रवास्तु प्रमाणातिक्रम, हिरण्यसुवर्ण प्रमाणातिक्रम, धनधान्य प्रमाणातिक्रम, दासीदास प्रमाणातिक्रम और कुप्यभाण्ड प्रमाणातिक्रम।

22. पाँच अणुव्रतों के धारण करने का फल क्या है ?

हमेशा असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है एवं वह नियम से देवगति में ही जाता है, वहाँ के वैभव को प्राप्त करता है।

23. पाँच अणुव्रतों में कौन-कौन प्रसिद्ध हुए हैं ?

क्रमशः यमपाल चाण्डाल, धनदेव सेठ, वारिषेण राजकुमार, नीली और जयकुमार राजा। (र.क. श्रा., 64)

24. गुणव्रत किसे कहते हैं एवं कितने होते हैं ?

जिससे अणुव्रतों में वृद्धि हो वह गुणव्रत हैं। जैसे-खेती की रक्षा के लिए जो बाड़ का स्थान है, वही पाँच अणुव्रतों की रक्षा के लिए तीन गुणव्रतों का स्थान है। गुणव्रत तीन होते हैं। दिग्विरतिव्रत, देशविरति व्रत और अनर्थदण्डविरति व्रत। (तत्त्वार्थसूत्र, 7/21)

25. दिग्विरति व्रत किसे कहते हैं एवं उसके कितने अतिचार हैं ?

सूक्ष्म पापों से बचने के लिए मरणपर्यन्त दसों दिशाओं में सीमा कर लेना और उससे आगे न जाना दिग्विरति व्रत है। जैसे-पूर्व में कलकत्ता, दक्षिण में मद्रास, पश्चिम में मुम्बई, उत्तर में काश्मीर। इसके पाँच अतिचार हैं।

1. **ऊर्ध्वव्यतिक्रम** - अज्ञान, प्रमाद अथवा लोभ के वश ऊपर की सीमा का उल्लङ्घन करना।
2. **अधोव्यतिक्रम** - अज्ञान, प्रमाद अथवा लोभ के वश नीचे की सीमा का उल्लङ्घन करना।
3. **तिर्यग्व्यतिक्रम** - अज्ञान, प्रमाद अथवा लोभ के वश तिर्यगसीमा का उल्लङ्घन करना।
4. **क्षेत्रवृद्धि** - लोभ के कारण सीमा की वृद्धि करने का अभिप्राय रखना।
5. **विस्मरण** - निर्धारित सीमा को भूल जाना। (स.सि., 7/30/717)

26. देश विरति व्रत किसे कहते हैं एवं इसके कितने अतिचार हैं ?

जीवन पर्यन्त के लिए किए हुए दिग्ब्रत में और भी संकोच करके घड़ी, घंटा, दिन, महिना आदि तक किसी मुहल्ले, चौराहे आदि तक सीमा रखना, यह देश विरति व्रत कहलाता है। (र. क. श्रा., 68)
इसके पाँच अतिचार होते हैं -

1. आनयन - सीमा से बाहर की वस्तु को किसी से मंगवाना।
2. प्रेष्यप्रयोग - सीमा से बाहर क्षेत्र में किसी को भेजकर काम कराना।
3. शब्दानुपात - सीमा के बाहर क्षेत्र में किसी को खाँसी, चुटकी, ताली, फोन, फैंक्स आदि से इशारा करके बुलाना।
4. रूपानुपात - सीमा के बाहर अपना रूप, शरीर, हाथ, वस्त्र आदि दिखाकर इशारा करना।
5. पुद्गलक्षेप - सीमा के बाहर कंकड़, पत्थर आदि फेंककर बुलाना। जैसे-परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में नकल की चिट फेंकते हैं। (स.सि., 7/31/718)

27. अनर्थदण्डविरति व्रत किसे कहते हैं एवं इसके कितने अतिचार हैं ?

जिससे अपना कुछ प्रयोजन तो सिद्ध न हो और व्यर्थ ही पाप का संचय होता है ऐसे कार्यों को अनर्थदण्ड कहते हैं और उनके त्याग को अनर्थदण्डविरति व्रत कहते हैं। इसके पाँच अतिचार हैं-

1. कन्दर्प - राग की अधिकता होने से हास्य के साथ अशिष्ट वचन बोलना।
2. कौत्कुच्य - हास्य और अशिष्ट वचन के साथ शरीर से भी कुचेष्टा करना।
3. मौखर्य - धृष्टता पूर्वक बहुत बकवास करना।
4. असमीक्ष्याधिकरण - बिना विचारे अधिक कार्य करना।
5. उपभोग परिभोग अनर्थक्य - अधिक उपभोग-परिभोग सामग्री का संग्रह करना। (स.सि., 7/32/719)

28. अनर्थदण्ड के कितने भेद हैं ?

अनर्थदण्ड के 5 भेद हैं-

1. पापोपदेश - छोटे व्यापार आदि पाप क्रियाओं का उपदेश देना। जैसे-मछली की खेती करो, बूचड़खाने खोलो आदि। ऐसी चर्चा करना कि अमुक जङ्गल में हिरण बहुत अच्छे थे, कसाई ने सुन लिया तो क्या हुआ वह वहाँ गया और सारे हिरणों का वध कर दिया।
2. हिंसादान - हिंसक उपकरणों का देना, व्यापार करना। जैसे-बम, पिस्तौल, फरसा, पटाखा, जे.सी.बी. मिट्टी खोदने की मशीन, क्रेशर, ब्लास्टिंग के उपकरणों को लेना-देना एवं हिंसक पशुओं का पालन करना। जैसे-बिल्ली, कुत्ता, मुर्गा, सर्प आदि।
3. अपध्यान - पर के दोषों को ग्रहण करना, पर की लक्ष्मी को चाहना, पर की स्त्री को चाहना आदि। द्वेष के कारण वह मर जाए, उसकी दुकान नष्ट हो जाए, उसकी खेती जल जाए, वह चुनाव में हार जाए, उसके यहाँ डाका पड़ जाए आदि।
4. प्रमादचर्या - बिना प्रयोजन के जमीन खोदना, जल फेंकना, अग्नि जलाना, हवा करना, वनस्पति तोड़ना, घूमना, घुमाना आदि।
5. दुःश्रुति - चित्त को कलुषित करने वाला अश्लील साहित्य पढ़ना, सुनना, गीत सुनना, नाटक,

टेलीविजन एवं सिनेमा आदि देखना दुःश्रुति नामक अनर्थदण्ड है।

29. शिक्षाव्रत किसे कहते हैं एवं कितने होते हैं ?

जिससे मुनि, आर्यिका बनने की शिक्षा मिले, वह शिक्षाव्रत है। शिक्षाव्रत चार होते हैं—सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोग परिभोग परिमाण एवं अतिथि संविभाग।

30. सामायिक शिक्षाव्रत किसे कहते हैं एवं इसके कितने अतिचार होते हैं ?

समता भाव धारण करना सामायिक है। मुनि हमेशा समता धारण करते हैं। किन्तु श्रावक हमेशा समता धारण नहीं रख सकता, वह स्वयं समय की सीमा रखकर निश्चित समय तक मन-वचन-काय एवं कृत-कारित-अनुमोदना से पाँचों पापों का त्याग करके परमात्म स्वरूप चिन्तन करना सामायिक है, इस व्रत का धारी, दिन में एक-दो अथवा तीन बार सामायिक करता है। इसके पाँच अतिचार हैं—

1. **मनःदुष्प्रणिधान** - सामायिक करते हुए मन में अशुभ संकल्प-विकल्प करना।
2. **वचन दुष्प्रणिधान** -मन्त्र, सामायिक आदि पाठ का अशुद्ध उच्चारण करना, जल्दी-जल्दी पढ़ना आदि।
3. **काय दुष्प्रणिधान** - सामायिक में हाथ पैर हिलाना, यहाँ-वहाँ देखना आदि।
4. **अनादर** - उत्साह रहित हो, मात्र नियम की पूर्ति करना।
5. **स्मृत्यनुपस्थान** - सामायिक का काल ही भूल जाना एवं सामायिक पाठ पढ़ते-पढ़ते भक्तामर का पाठ पढ़ने लगना। (सर्वार्थसिद्धि, 7/33/720)

31. प्रोषधोपवास शिक्षाव्रत किसे कहते हैं एवं इसके कितने अतिचार हैं ?

प्रोषध का अर्थ पर्व के दिन से है। पर्व के दिन उपवास करना, प्रोषधोपवास कहलाता है। उपवास के दिन समस्त आरम्भ का त्याग कर वन में या मंदिर में रहकर धर्म्यध्यान करना चाहिए। उस दिन मंजन, स्नान भी नहीं करना चाहिए। शिक्षा ले रहे हैं तो पूरी शिक्षा लें। मुनि मंजन, स्नान नहीं करते तो श्रावक भी उपवास के दिन न करे। (र.क.श्रा.,106-109) यह शिक्षाव्रत तीन प्रकार का होता है।

उत्कृष्ट	सप्तमी एकाशन	अष्टमी उपवास	नवमी एकाशन
	त्रयोदशी एकाशन	चतुर्दशी उपवास	पन्द्रश एकाशन
मध्यम	सप्तमी दो बार भोजन	अष्टमी उपवास	नवमी दो बार भोजन
	त्रयोदशी दो बार भोजन	चतुर्दशी उपवास	पन्द्रश दो बार भोजन
	(कार्तिकेयानुप्रेक्षा टीका 373-76)		
जघन्य	सप्तमी दो बार भोजन	अष्टमी एकाशन	नवमी दो बार भोजन
	त्रयोदशी दो बार भोजन	चतुर्दशी एकाशन	पन्द्रश दो बार भोजन
	(वसुनन्दि श्रावकाचार, 292)		

नोट -उपवास में चारों प्रकार के (खाद्य, पेय, लेह्य और स्वाद्य)आहार का त्याग होता है।

इसके पाँच अतिचार हैं -

1. **अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग** - बिना देखी और बिना शोधी हुई जमीन में मल-मूत्र आदि करना।
2. **अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान** - बिना देखे बिना शोधे उपकरण आदि ग्रहण करना।

3. अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण - बिना देखी बिना शोधी भूमि पर संस्तर आदि बिछाना।
4. अनादर-उपवास के कारण भूख-प्यास से पीड़ित होने से आवश्यक क्रियाओं में उत्साह न होना।
5. स्मृत्यनुपस्थान - आवश्यक क्रियाओं को ही भूल जाना। (सर्वार्थसिद्धि, 7/34/721)
32. उपभोग परिभोग परिमाण किसे कहते हैं एवं इससे मुनि बनने के लिए क्या शिक्षा मिलती है ?
परिग्रह परिमाण व्रत में आजीवन के लिए नियम किया था। उन वस्तुओं से राग घटाने के लिए प्रतिदिन उस नियम के ही अंतर्गत यह नियम करना, मैं आज इतनी वस्तुओं का उपभोग एवं परिभोग करूँगा।
उपभोग-जो वस्तु एक बार भोगने में आती है। जैसे-भोजन, पानी आदि।
परिभोग-जो वस्तु बार-बार भोगने में आती है। जैसे-वस्त्र, आभूषण, वाहन, यान आदि। (स. सि., 7/21/703)
इससे यह शिक्षा मिलती है कि जब मुनि बनेंगे तो मौसम के अनुकूल, स्वास्थ्य के अनुकूल आहार, पानी नहीं मिलता हो तो पहले से ही अभ्यास रहना चाहिए।
33. क्या भक्ष्य-अभक्ष्य दोनों का नियम किया जाता है ?
भक्ष्य का नियम किया जाता है। अभक्ष्य का तो वह त्यागी ही होता है।
34. अभक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं ?
अभक्ष्य 5 प्रकार के होते हैं। इसका वर्णन अभक्ष्य पदार्थ अध्याय में किया गया है।
35. उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत के कितने अतिचार हैं ?
उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार होते हैं-
1. सचित्त आहार - सचेतन हरे फल, फूल, पत्र आदि का सेवन करना।
2. सचित्त सम्बन्ध आहार - सचित्त पदार्थों से ढके हुए एवं सचित्त पत्र आदि में रखे हुए प्रासुक पदार्थ आदि का सेवन करना।
3. सचित्त सम्मिश्र आहार - सचित्त पदार्थ से मिले हुए पदार्थ आदि का सेवन करना।
4. अभिषव आहार - इन्द्रियों को मद उत्पन्न करने वाले गरिष्ठ पदार्थों आदि का सेवन करना।
5. दुःपक्वाहार - अधपके, अधिक पके एवं जले हुए पदार्थों आदि का सेवन करना।
(सर्वार्थसिद्धि, 7/35/722)
36. अतिथि संविभाग व्रत किसे कहते हैं एवं इसके कितने अतिचार हैं ?
संयम की विराधना न करते हुए जो गमन करता है, वह अतिथि कहलाते हैं या जिसकी न आने की तिथि होती है और न जाने की तिथि होती है, वह अतिथि कहलाते हैं। ऐसे साधुओं को आहार, औषधि, उपकरण एवं वसतिका देना यह अतिथि संविभाग व्रत कहलाता है। इसके पाँच अतिचार हैं-
1. सचित्त निक्षेप - सचित्त कमल के पत्ते आदि पर रखा आहार देना।
2. सचित्त अपिधान - सचित्त पत्ते आदि से ढका आहार देना।
3. पर व्यपदेश - स्वयं न देकर दूसरों से दिलवाना अथवा दूसरे की वस्तु का दान देना।
4. मात्सर्य - दूसरे दाताओं से ईर्ष्या रखना।
5. कालातिक्रम - आहार के काल का उल्लङ्घन कर देना। (सर्वार्थसिद्धि, 7/36/723)
37. सामायिक प्रतिमा किसे कहते हैं ?

अपने स्वरूप का, जिनबिम्ब का, पञ्चपरमेष्ठी के वाचक अक्षरों का अथवा बारह भावनाओं का चिन्तन करते हुए ध्यान करता है, उसके सामायिक प्रतिमा होती है।

38. सामायिक करने की क्या विधि है ?

सर्वप्रथम पूर्व दिशा में खड़े होकर नौ बार णमोकार मंत्र पढ़कर फिर दोनों हाथ जोड़कर बाएँ से दाएँ की ओर तीन बार घुमाना (प्रदक्षिणा रूप) आवर्त कहलाता है। इसे चारों दिशाओं में क्रमशः (पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में) किया जाता है। आवर्त करने के बाद खड़े-खड़े ही नमस्कार करना प्रणाम है, यह भी चारों दिशाओं में किया जाता है। पूर्व दिशा में आवर्त, प्रणाम के बाद बैठकर नमस्कार (गवासन से) करना निषेध है। यह पूर्व एवं उत्तर दिशा में किया जाता है। आवर्त करते समय यह बोलना चाहिए कि पूर्व दिशा और इसकी विदिशा में जितने केवली, जिन, सिद्ध, साधु एवं ऋद्धिधारी मुनि हैं, उन सबको मेरा मन से, वचन से और काय से नमस्कार हो।

दक्षिण आदि दिशा में आवर्त करते समय उस दिशा और उसकी विदिशा में बोलना चाहिए। ऐसा चारों दिशाओं में करने के बाद उत्तर मुख या पूर्व मुख बैठकर सामायिक प्रारम्भ करें। इसी प्रकार सामायिक का समापन भी करना चाहिए।

39. सामायिक के लिए आसन, स्थान कैसा हो ?

सामायिक के लिए दो आसन बताए हैं, पद्मासन एवं खड्गासन। स्थान एकान्त हो, एकान्त के अनेक अर्थ हैं, जहाँ कोई भी न हो। दूसरा अर्थ जहाँ स्त्री, पशु, नपुंसक न हो और जहाँ कोलाहल, डाँस, मच्छर, बिच्छू आदि न हो। सामायिक के लिए वन, नदी का तट अच्छा माना गया है। वह न हो तो घर, मंदिर आदि में भी कर सकते हैं।

40. सामायिक में क्या करें ?

शत्रु-मित्र, लाभ-अलाभ, जीवन-मरण में समता रखने का नाम सामायिक है। श्रावक भी सामायिक के समय समता रखें। उपसर्ग होते हैं, सर्दी-गर्मी लगती है, उसे समता से सहन करें। सामायिक में संसार, शरीर, भोग के बारे में चिन्तन करें, बारह भावनाओं का चिन्तन करें, पञ्च नमस्कार मंत्र का जाप करें। जाप करते-करते मन भटकता है तो दूसरे क्रम में जाप करें। उल्टे क्रम से भी कर सकते हैं। जैसे-णमो लोए सव्वसाहूणं। मध्य में से भी कर सकते हैं। णमो आइरियाणं। जहाँ की आपने तीर्थयात्रा की है, उसका चिन्तन करें आदि। एक, दो, तीन क्या होते हैं। जैसे-एक आत्मा, दो जीव, तीन रत्नत्रय आदि करके जहाँ तक बने चिन्तन करते जाएं।

41. सामायिक कैसे करें ?

कैसे से आशय हमारी सामायिक निरवद्य हो। अवद्य का अर्थ पाप होता है। निर् उपसर्ग रहित के अर्थ में है। अर्थात् पाप से रहित सामायिक हो। सामायिक करते समय पंखा, टी.वी., कूलर, हीटर, सिगड़ी चालू करके न बैठें एवं टेपरिकार्ड भी न चलाएं।

42. सामायिक का काल (समय) क्या है तथा कितनी बार करनी चाहिए ?

सूर्योदय के तीन घड़ी (1:12 मिनट) पहले से तीन घड़ी बाद तक। मध्याह्न में भी तीन घड़ी पूर्व से तीन घड़ी पश्चात् तक इसी प्रकार सन्ध्या में भी सूर्यास्त से तीन घड़ी पूर्व से तीन घड़ी पश्चात् तक सामायिक

का उत्कृष्ट काल है। मध्यम काल 2-2 घड़ी और जघन्यकाल 1-1 घड़ी है। इस प्रतिमाधारी को तीनों कालों में सामायिक करना आवश्यक होता है।

43. सामायिक का मध्याह्न काल कैसे निकालते हैं ?

जैसे-सूर्योदय 6 बजे एवं सूर्यास्त 6 बजे होता है, तब सामायिक का मध्याह्न काल उत्कृष्ट होगा 10:48 से 1:12 तक। जघन्य निकालना है तो 11:36 से 12:24 तक 48 मिनट।

44. सामायिक शिक्षाव्रत एवं सामायिक प्रतिमा में क्या अंतर है ?

1. सामायिक शिक्षाव्रत में सामायिक कितने बार करें यह नियम नहीं है, सामायिक प्रतिमा में सामायिक तीन बार का नियम है।
2. सामायिक शिक्षाव्रत में सामायिक अतिचार सहित भी होती है, सामायिक प्रतिमा में सामायिक अतिचार रहित होती है।
3. सामायिक शिक्षाव्रत में सामायिक 24 मिनट भी कर सकता है। किन्तु सामायिक प्रतिमा में सामायिक कम-से-कम 48 मिनट तो अवश्य ही करेगा।
4. सामायिक शिक्षाव्रत में आवर्त आदि का नियम नहीं है। किन्तु सामायिक प्रतिमा में सामायिक में बैठते समय आवर्त आदि का नियम है।

45. प्रोषधोपवास प्रतिमा किसे कहते हैं ?

जो प्रत्येक माह की अष्टमी व चतुर्दशी को अपनी शक्ति न छिपाकर नियम पूर्वक प्रोषधोपवास करता है वह श्रावक प्रोषधोपवास प्रतिमाधारी श्रावक है।

46. प्रोषधोपवास शिक्षाव्रत व प्रोषधोपवास प्रतिमा में क्या अंतर है ?

व्रत प्रतिमा वाला श्रावक कभी प्रोषधोपवास करता तथा कभी नहीं भी करता है किन्तु प्रोषधोपवास प्रतिमाधारी श्रावक नियम से प्रोषधोपवास करता है। (र.क.श्रा., 140)

47. सचित्त त्याग प्रतिमा किसे कहते हैं ?

चित्त का अर्थ जीव होता है अर्थात् सचित्त त्याग प्रतिमा का धारी वनस्पति आदि को जीव रहित करके ही खाता है। वह श्रावक अब कच्चा जल, कच्ची वनस्पति आदि नहीं खाता है। वह पानी को प्रासुक करके ही प्रयोग में लेता है एवं वनस्पति भी अग्नि पक्व या यन्त्र से पेलित अर्थात् रस को लेता है। यद्यपि सचित्त को अचित्त करके खाने में प्राणिसंयम नहीं पलता, किन्तु इन्द्रिय संयम पालने की दृष्टि से सचित्त त्याग आवश्यक है। यह प्रतिमा भी शिक्षाव्रत के रूप में है, क्योंकि मुनि प्रासुक (अचित्त) भोजन ही करते हैं। अतः इस श्रावक ने अभी से साधना करना प्रारम्भ कर दी है। (र.क.श्रा., 141)

48. रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा किसे कहते हैं ?

रात्रि भोजन का त्याग तो प्रथम प्रतिमा में ही हो जाता है, किन्तु अब वह श्रावक रात्रि में चारों प्रकार का आहार दूसरों को भी नहीं खिलाता और न ही खाने वालों की अनुमोदना करता है। (कार्तिकेयानुप्रेक्षा, 382) इस प्रतिमा का अपर नाम दिवा मैथुन त्याग भी है, अतः वह दिन में मैथुन भी नहीं करता है।

49. ब्रह्मचर्य प्रतिमा किसे कहते हैं ?

मन, वचन, काय एवं कृत, कारित, अनुमोदना से जो श्रावक मैथुन का त्याग करता है, उसे ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी श्रावक कहते हैं। (कार्तिकेयानुप्रेक्षा, 383) ब्रह्मचर्याणु व्रत में स्व स्त्री से सम्बन्ध रहता है

किन्तु ब्रह्मचर्य प्रतिमा में स्व स्त्री से भी विरक्त हो जाता है।

50. आरम्भ त्याग प्रतिमा किसे कहते हैं ?

इस प्रतिमा में खेती, व्यापार, नौकरी सम्बन्धी समस्त आरम्भ का त्याग हो जाता है। (र.क.श्रा., 144) किन्तु वह पूजन, अभिषेक एवं भोजन बनाने का आरम्भ का त्यागी नहीं होता है। आरम्भ त्यागी बैंक बैलेंस नहीं रखता है किन्तु वह मकान का किराया एवं पेन्शन ले सकता है।

51. आरम्भ किसे कहते हैं ?

जिस कार्य के करने से षट्काय जीवों की हिंसा होती है, उसे आरम्भ कहते हैं।

52. परिग्रहत्याग प्रतिमा किसे कहते हैं ?

जो पूजन के बर्तन, शौच उपकरण एवं वस्त्रों का परिग्रह रखकर शेष सब परिग्रह को छोड़ देता है और उन वस्त्रों में भी मूर्च्छा नहीं रखता है, उस श्रावक की परिग्रह त्याग प्रतिमा कहलाती है।

53. अनुमति त्याग प्रतिमा किसे कहते हैं ?

इस प्रतिमा का धारी श्रावक अब किसी भी सांसारिक कार्य की अनुमति नहीं देता है। (र.क.श्रा., 146) घर में रहकर घर के कार्यों में अनुमति नहीं देना यही उसकी परीक्षा है, अनुमति त्याग की परीक्षा घर में होती है, जङ्गल में नहीं। यह प्रतिमा भी शिक्षाव्रत के रूप में है। आगे मुनि होने के बाद सांसारिक कार्य के उपदेश में मौन रहता है। उसी प्रकार वह श्रावक भी अभी से साधना कर रहा है। दस प्रतिमाधारी श्रावक भी घर में रह सकता है।

54. उद्धृष्टत्याग प्रतिमा किसे कहते हैं ?

यह प्रतिमाधारी श्रावक सम्पूर्ण रूप से घर का त्यागकर मुनियों के समूह में जाकर व्रतों को ग्रहण कर तपस्या करता हुआ भिक्षा भोजन करने वाला होता है एवं एक खण्ड वस्त्र धारण करता है। (र.क.श्रा., 147) इस प्रतिमा के दो भेद हैं- एलक एवं क्षुल्लक। एलक करपात्र में ही आहार करते हैं, केशलेंच करते हैं, किन्तु केशलेंच उपवास के साथ करे यह नियम नहीं है। मात्र वे एक लंगोट (कोपीन) धारण करते हैं। क्षुल्लक लंगोट के साथ एक चादर या दुपट्टा भी रखते हैं वह चादर या दुपट्टा खण्ड होता है, अर्थात् सिर ढके तो पैर न ढके, पैर ढके तो सिर न ढके। वे भोजन पात्र में भी कर सकते हैं एवं कर पात्र में भी कर सकते हैं। केशलेंच करने का नियम नहीं है। वे मुण्डन भी करा सकते हैं। प्राचीन समय में इनकी आहार चर्या ऐसी थी कि सात घरों से अपने पात्र में आहार मांगकर लेते थे एवं कोई श्रावक कह दे कि यहीं बैठकर आहार कर लीजिए तो वहीं पर बैठकर कर लेते थे। नहीं कहा तो वे अपनी वसतिका में भी कर सकते हैं, किन्तु वर्तमान में ऐसी परम्परा नहीं है, वे भी मुनियों के समान आहार चर्या को निकलते हैं।

55. कौन से प्रतिमाधारी श्रावक जघन्य, मध्यम एवं उत्कृष्ट कहलाते हैं ?

प्रथम प्रतिमाधारी से छठवीं प्रतिमा तक जघन्य श्रावक, सातवीं से नवमी तक मध्यम श्रावक, दसवीं-ग्यारहवीं प्रतिमा वाला उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है।

56. ग्यारह प्रतिमाधारी स्त्रियों को क्या कहते हैं ?

ग्यारह प्रतिमाधारी स्त्रियों को क्षुल्लिका कहते हैं, यह एक सफेद साड़ी और एक खण्ड वस्त्र रखती हैं, शेष चर्या क्षुल्लक के समान हैं।

57. श्रावक कितने स्थानों पर मौन रखता है ?

श्रावक को सात स्थानों पर मौन रखना चाहिए। भोजन, वमन, स्नान, मैथुन, मल-मूत्र क्षेपण, जिनपूजा आदि छः आवश्यक करते समय और जहाँ पाप कार्य की संभावना हो, वहाँ पर मौन रखना चाहिए।

58. किसे क्या कहकर वन्दना करनी चाहिए ?

मुनिराज को नमोस्तु, आर्यिकाओं को वन्दामि, एलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका एवं दसवीं प्रतिमाधारी श्रावक को इच्छामि तथा अन्य प्रतिमाधारी श्रावक को वन्दना करना चाहिए। साधर्मी जनों से जयजिनेन्द्र कहना चाहिए।

अभ्यास

सही या गलत बताइए -

1. प्रथम प्रतिमा में तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत होते हैं।
2. दर्शन प्रतिमा वाला रात्रि में जल ले सकता है।
3. समय से भोजन नहीं बनाना भी अहिंसाणुव्रत का अतिचार है।
4. 100 वर्ष के लिए भारत से बाहर नहीं जाना दिग्व्रत है।
5. Blood Pressure Low (रक्तचाप कम) होने पर नमक नहीं खाना अभक्ष्य है।
6. सामायिक शिक्षाव्रत में तीन बार सामायिक कर सकते हैं।
7. सचित्त त्याग प्रतिमाधारी श्रावक खेती कर सकता है।
8. सामायिक प्रतिमा के पाँच अतिचार हैं।

अन्यत्र खोजिए -

1. आचार्य श्री समन्तभद्र स्वामी ने गुणव्रत और शिक्षाव्रत कौन से बताए हैं ?
2. पण्डित आशाधरजी ने अष्ट मूलगुण कौन से बताए हैं ?
3. आचार्य श्री सोमदेव सूरि के अनुसार अष्टमूलगुण कौन से हैं ?
4. आचार्य श्री समन्तभद्रजी ने परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार कौन से बताए हैं ?
5. आचार्य श्री सोमदेव सूरि के उपासकाचार में तीसरी, पाँचवीं एवं आठवीं प्रतिमा के क्या नाम हैं ?

अध्याय 39. अभक्ष्य पदार्थ

1. **अभक्ष्य किसे कहते हैं ?**
जो पदार्थ खाने (भक्षण करने) योग्य नहीं होता, उसे अभक्ष्य कहते हैं ।
2. **अभक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं ?**
अभक्ष्य 5 प्रकार के होते हैं। त्रसघातकारक, प्रमादवर्धक, बहुघातकारक, अनिष्टकारक और अनुपसेव्य ।
 1. **त्रसघात कारक**-जिस पदार्थ के खाने से त्रसजीवों का घात हो। जैसे-बड़, पीपल, पाकर, ऊमर, कठूमर, माँस, मधु, अमर्यादित भोजन और घुना अन्न आदि ।
 2. **प्रमादवर्धक**-जिस पदार्थ के खाने-पीने से प्रमाद और आलस्य आता है। जैसे-शराब, गाँजा, भाँग हेरोइन, चरस, कोकीन, ब्राउन शुगर, अफीम, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और जर्दा आदि नशाकारक पदार्थ ।
नोट- किंगफिशर, बेगपाइपर आदि भी शराब हैं ।
 3. **बहुघातकारक**-जिसमें फल तो अल्प हो और बहुत त्रसजीवों के घात हो। जैसे-गीला अदरक, मूली, नीम के फूल, केवड़े के फूल, मक्खन एवं समस्त जमीकंद आदि ।
 4. **अनिष्ट कारक**-जो आपकी प्रकृति-विरुद्ध हैं। जैसे-खांसी में दही का सेवन, बुखार में घी का सेवन, हृदय रोग में घी और तेल का सेवन, डायविटीज में शक्कर का सेवन, मोतीझिरा बुखार में अन्न का सेवन और ब्लडप्रेसर बढ़ने पर नमक का सेवन करना आदि अनिष्टकारक हैं ।
 5. **अनुपसेव्य**-जो सज्जन पुरुषों के सेवन करने योग्य नहीं हैं। जैसे-गोमूत्र, ऊँटनी का दूध, शङ्खचूर्ण, पान का उगाल, लार, मूत्र, पुरीष और खकार आदि ।
3. **द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव अभक्ष्य किसे कहते हैं ?**
द्रव्य-जैसे-किसी ने प्रासुक भोजन बनाया और उस भोजन को कुत्ता और बिल्ली आदि ने जूठा कर दिया तो वह अभक्ष्य हो गया या उसमें कोई अशुद्ध पदार्थ गिर गया ।
क्षेत्र-अपवित्र स्थान पर बैठकर भोजन करना क्षेत्र अभक्ष्य है ।
काल-काल की अपेक्षा तो स्पष्ट है मर्यादा के बाद वह पदार्थ अभक्ष्य है। लीस्टर देश में 8 घंटे के बाद मिठाई फेंक देते हैं ।
भाव-भोजन करते समय यह भोज्य वस्तु माँस, रुधिर और मदिरा के सदृश है, ऐसा स्मरण होते ही वह भोजन भाव अभक्ष्य है ।
4. **चलित रस अभक्ष्य किसे कहते हैं ?**
जो पदार्थ स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण से चलायमान हो गए हैं, ऐसे पदार्थों को भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे पदार्थों में अनेक त्रस जीवों की और अनन्त निगोद राशि की उत्पत्ति अवश्य हो जाती है। (लाटी संहिता, 56)
5. **पञ्च उदुम्बरों के त्यागी को क्या-क्या त्याग कर देना चाहिए ?**

जिसने पञ्च उदुम्बरो के त्याग किया है, उसे समस्त प्रकार के अज्ञात (अजान) फलों का त्याग कर देना चाहिए।¹ अजान फलों (वस्तुओं) के खाने से पूर्व में अनेक व्यक्तियों के मरण हो चुके हैं।

6. दही भक्ष्य है या अभक्ष्य ?

दही भक्ष्य है। जो दही इस विधि से तैयार किया है, वह भक्ष्य है—दूध दुहने के प्रथम समय से लेकर अन्तर्मुहूर्त के अंदर उबाल लिया है, ऐसे दूध में 24 घंटे के अन्दर चाँदी का सिक्का, बादाम, खड़ी लाल-मिर्च, अमचूर आदि डालकर दही जमाया जाता है, ऐसे दही में बैक्टेरिया नहीं होते हैं, यह दही भक्ष्य है।

7. नवनीत (मक्खन) भक्ष्य है या अभक्ष्य ?

मद्य, माँस, मधु एवं नवनीत को महाविकृति कहा है। अतः यह अभक्ष्य है।² नवनीत की मर्यादा अन्तर्मुहूर्त एवं पंडित आशाधरजी ने दो मुहूर्त कहा है। वह घी बनाने के उद्देश्य से कहा है, खाने के उद्देश्य से नहीं।³

8. अष्टपाहुड की टीका करने वाले आचार्य श्रुतसागरजी सूरि ने चारित्रपाहुड की टीका 21 में द्विदल अभक्ष्य किसे कहा है ?

द्विदलान्न मिश्रं दधितक्रं स्वादितं सम्यक्त्वमपि मलिनयेत्—द्विदलान्न के साथ मिलाकर खाए हुए दही और तक्र (छाछ) सम्यग्दर्शन को भी मलिन कर देता है, अतः इनका त्याग कर देना चाहिए।

9. अभक्ष्य इतने ही हैं कि और भी हैं ?

वर्तमान में विवाह और जन्मदिन आदि की पार्टियों में दाल बाफले, तंदूरी, छोले-भटूरे आदि चलते हैं, इनमें दही मिलाया जाता है, अतः द्विदल है तथा बाजार में मिलने वाले पदार्थों में बहुत से पदार्थ अभक्ष्य हैं। जैसे—बन्द डिब्बों की आइसक्रीम, जिलेटिन, चाँदी का वर्क, अजीनोमोटो, साबूदाना, नींबू का सत्त्व (टाटरी) और मैगी आदि।

अभ्यास

सही या गलत बताइए -

1. मक्खन बहुघात अभक्ष्य है।
2. पञ्च उदुम्बर बहुघात अभक्ष्य हैं।
3. डायबिटीज में शक्कर खाना अभक्ष्य है।
4. घी से दुर्गन्ध आ रही है तब वह अभक्ष्य है।

अन्यत्र खोजिए -

1. बन्द डिब्बों की आइसक्रीम, जिलेटिन, चाँदी का वर्क, अजीनोमोटो, साबूदाना और नींबू का सत्त्व अभक्ष्य क्यों है ?
2. द्विदल कितने प्रकार के होते हैं ?
3. तरबूज (कलींदा) को कौन-कौन से ग्रन्थ में अभक्ष्य कहा है ?
4. कमलनाल को कौन से आचार्य ने अभक्ष्य कहा है ?

1. सागर धर्माभूत, 3/14 2. पुरुषार्थसिद्धिचुपाय, 71 3. श्रावकाचार संग्रह भाग-4, 4/166


आहार की वस्तुओं की मर्यादा

सामग्री	शीत ऋतु	ग्रीष्म ऋतु	वर्षा ऋतु
1. बूरा	1 माह	15 दिन	7 दिन
2. अ. दूध (दुहने के पश्चात्) ब. दुहने के समय से अन्तर्मुहूर्त में उबाला हुआ	अन्तर्मुहूर्त 24 घण्टे	अन्तर्मुहूर्त 24 घण्टे	अन्तर्मुहूर्त 24 घण्टे
3. दही, छाछ (गर्म दूध का) चारित्रपाहुड 21 की टीका के अनुसार	48 घण्टे	48 घण्टे	48 घण्टे
4. अ. छाछ बिलोते समय पानी डालने पर ब. बाद में पानी डालने पर	12 घण्टे 48 मिनट	12 घण्टे 48 मिनट	12 घण्टे 48 मिनट
5. मीठे पदार्थ मिला दही	48 मिनट	48 मिनट	48 मिनट
6. घी		जब तक स्वाद न बिगड़े	
7. तेल		जब तक स्वाद न बिगड़े	
8. गुड़		जब तक स्वाद न बिगड़े	
9. आटा सभी प्रकार का	7 दिन	5 दिन	3 दिन
10. पिसे हुए मसाले	7 दिन	5 दिन	3 दिन
11. पिसा नमक मसाला मिला नमक	अन्तर्मुहूर्त 6 घण्टे	अन्तर्मुहूर्त 6 घण्टे	अन्तर्मुहूर्त 6 घण्टे
12. नमक मिला कच्चा भोजन	9 घण्टे	6 घण्टे	6 घण्टे
13. नमक मिला पक्का भोजन (पुड़ी, पपड़िया, कचौरी आदि)	24 घण्टे	24 घण्टे	24 घण्टे
14. दाल, भात, कढ़ी आदि	6 घण्टे	6 घण्टे	6 घण्टे
15. रोटी	12 घण्टे	12 घण्टे	12 घण्टे
16. बिना पानी के पकवान	7 दिन	5 दिन	3 दिन
17. गुड़ मिला दही	सर्वदा अभक्ष्य		
18. अचार	24 घण्टे	24 घण्टे	24 घण्टे

(श्रावकाचार संग्रह, 4/165 एवं जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, 3/202)

विशेष- प्रसूति के बाद भैंस का दूध 15 दिन तक, गाय का दूध 10 दिन तक एवं बकरी का दूध 8 दिन तक अभक्ष्य है।

अध्याय 40. सल्लेखना



1. सल्लेखना क्या है ?

अच्छे प्रकार से काय और कषाय का लेखन करना अर्थात् कृश करना सल्लेखना है। अर्थात् बाहरी शरीर को और भीतरी कषायों के उत्तरोत्तर पुष्ट करने वाले कारणों को घटाते हुये भले प्रकार से लेखन करना अर्थात् कृश करना सल्लेखना है। (सर्वार्थसिद्धि, 7/22/705)

2. सल्लेखना की क्या आवश्यकता है ?

मरण किसी को इष्ट नहीं है। प्रधानमंत्री भी चाहता है कि हमारी सीट पाँच वर्ष तक सुरक्षित रहे, मुख्यमंत्री भी यही चाहता है, एक व्यापारी भी यही चाहता है कि मेरी दुकान का मरण न हो, अर्थात् वह चलती रहे। सर्विस करने वाला भी यही चाहता है मेरी सर्विस 60 वर्ष तक चलती रहे। उसी प्रकार संयमी भी चाहता है कि मेरा रत्नत्रय सुरक्षित रहे किन्तु रत्नत्रय भावों के साथ शरीर का भी साथ चाहता है। अब शरीर कहता है कि मुझे अस्पताल ले चलो, किन्तु संयमी कहता है, भाई तुम्हें मेरा साथ नहीं देना तो मत दो, मैं परलोक तो जा सकता हूँ, किन्तु तुम्हें (शरीर) अस्पताल नहीं भेज सकता हूँ। शरीर साथ देना बंद कर देता है, तो वह शरीर को भी धीरे-धीरे आहार-पानी देना बंद कर देता है अर्थात् काय और कषाय का लेखन अर्थात् कृश करना प्रारम्भ कर देता है और एक दिन वह अपने रत्नत्रय को न छोड़कर शरीर को ही छोड़कर यहाँ से विदा ले लेता है।

3. किन-किन कारणों के उपस्थित होने पर सल्लेखना ली जाती है ?

आचार्य समन्तभद्र स्वामी ने रत्नकरण्डकश्रावकाचार में सल्लेखना के निम्न कारणों का उल्लेख किया है-उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष आने पर, बुढ़ापा आने पर और असाध्य रोग आने पर, धर्म की रक्षा के लिए सल्लेखना ली जाती है। यथा-

उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे।

धर्माय तनुविमोचनमाहुः सल्लेखनामार्याः ॥122 ॥

1. **उपसर्ग** - उपसर्ग हो गया, जीवित रहने की संभावना नहीं है, तो चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया जैसे-मुनि सुकौशल, मुनि सुकुमाल आदि ने किया था। एक संक्षेप प्रत्याख्यान भी होता है, कोई उपसर्ग हो गया, जब तक दूर नहीं होगा, तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग। जैसे-अकम्पनाचार्य आदि 700 मुनिराजों ने किया था।
2. **दुर्भिक्ष**-अकाल के समय। जब श्रावकों को ही खाने के लिए नहीं है तो वह साधु को कैसे देगा। जब बारह वर्ष का अकाल पड़ा तो 12,000 मुनिराजों का संघ दक्षिण भारत चला गया। उनका वहाँ निर्वाह हो गया किन्तु जो यहाँ रहे थे, उन्हें सल्लेखना लेनी थी। नहीं ली तो क्या हुआ। आज एक मत खड़ा हो गया, वह है श्वेताम्बर मत।
3. **जरसि**- जरसि अर्थात् बुढ़ापा में शरीर शिथिल पड़ गया। जब दिखाई नहीं देता, न चला जाता, न खड़े हो सकते हैं। ऐसे मरणान्त उपस्थित होने पर सल्लेखना ग्रहण कर लेनी चाहिए।
4. **असाध्य रोग होने पर**-असाध्य रोग होने पर जो ठीक हो ही नहीं सकता, तो सल्लेखना ग्रहण कर लेनी चाहिए।

4. सल्लेखना करने की क्या विधि है ?

जो सल्लेखना धारण करता है, वह क्षपक कहलाता है। वह क्षपक सबसे राग, द्वेष, मोह और परिग्रह को छोड़कर प्रियवचनों से स्वजन, परिजन, सबसे क्षमा माँगे एवं सबको क्षमा कर दे। अपने सम्पूर्ण जीवन के पापों की आलोचना करके, आजीवन के लिए पाँचों पापों का त्याग करें। शोक, भय, विषाद आदि को छोड़कर श्रुत रूपी अमृत का पान करे और क्रमशः इस प्रकार कषायों को कृश करता हुआ अपनी काया को कृश करने के लिए सर्वप्रथम इष्ट रस, इष्ट वस्तु का त्याग करे, पुनः गरिष्ठ रसों का त्याग करके, मोटे (ठोस) अनाज का त्याग करके पेय को बढ़ाए, फिर छछ एवं गरम जल को ग्रहण करे, ऐसा करता हुआ जल का भी त्याग करके उपवास धारण करे एवं पञ्च नमस्कार का जाप, पाठ, ध्यान करते हुए देह का विसर्जन करे।

5. शरीर कितने प्रकार से छूटता है ?

शरीर तीन प्रकार से छूटता है-

1. **च्युत**-कारण के बिना केवल आयु पूर्ण होने पर जो शरीर छूटता है, उसे च्युत कहते हैं।
2. **च्यावित**-विष भक्षण, शस्त्रघात, श्वास निरोध आदि अकाल मरण के कारण मिलने से आयु पूर्ण होने से पहले संन्यास विधि से रहित जो शरीर छूटता है, उसे च्यावित कहते हैं।
3. **त्यक्त**-अकालमरण अथवा अकाल मरण के बिना, संन्यास विधि से शरीर छूटना उसे त्यक्त कहते हैं।

(कर्मकाण्ड, 56, 58)

6. **संन्यास मरण के कितने भेद हैं ?**

संन्यास मरण के तीन भेद हैं-

1. **भक्त प्रत्याख्यान** - आहार का त्याग करके इसमें वैयावृत्ति स्वयं भी करता है एवं दूसरों से भी कराता है।
2. **इंगिनीमरण** - इसमें वैयावृत्ति स्वयं करता है, दूसरों से नहीं कराता है।
3. **प्रायोपगमन** - इसमें वैयावृत्ति न स्वयं करते हैं, न दूसरों से कराते हैं। जिस आसन में बैठता है, उसी आसन से शरीर को छोड़ देता है। (कर्मकाण्ड, 60-61)

नोट-इंगिनीमरण, प्रायोपगमन हीन संहनन वालों के नहीं होता है। अतः इस पञ्चम काल में मात्र भक्त प्रत्याख्यान संन्यास मरण ही होता है।

7. **पाँच प्रकार के मरण कौन-कौन से होते हैं ?**

बाल - बाल मरण, बाल मरण, बाल -पण्डित मरण, पण्डित मरण, पण्डित-पण्डित मरण।

1. मिथ्यादृष्टि और सासादन सम्यग्दृष्टि के मरण को बाल-बाल मरण कहते हैं।
2. अविरत सम्यग्दृष्टि के मरण को बाल मरण कहते हैं।
3. देशव्रती श्रावक के मरण को बाल - पण्डित मरण कहते हैं।
4. मुनि (6 वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक) के मरण को पण्डित मरण कहते हैं।
5. अयोगकेवली भगवान् के मरण को पण्डित-पण्डित मरण कहते हैं। (जैनतत्त्वविद्या, पृ. 181)

8. **बारह वर्ष की सल्लेखना का क्रम बताइए ?**

निमित्तज्ञान के ज्ञाता, आयु का निर्धारण करके बारह वर्ष की सल्लेखना देते हैं। 4 वर्ष तक कायक्लेश तप करता है। 4 वर्ष तक दूध आदि रसों का त्याग करता है। 2 वर्ष तक आचाम्ल (चावल एवं इमली का पानी) और निर्विकृति (छांछ) लेता है। 1 वर्ष तक आचाम्ल। 6 माह तक मध्यम तप करता है। 6 माह तक उत्कृष्ट तप करता है। (भगवती आराधना, 254-256)

9. **सल्लेखना एवं आत्महत्या में क्या अंतर है ?**

आत्महत्या कषायों से प्रेरित होकर की जाती है तो सल्लेखना का मूल आधार समता है। आत्मघाती को आत्मा की अविनश्वरता का भान नहीं होता है। वह तो शरीर के नष्ट हो जाने को ही जीवन मुक्ति समझता है। जबकि सल्लेखना का प्रमुख आधार आत्मा की अमरता को समझकर अपनी परलोक यात्रा को सुधारना है। सूर्योदय की लाली सल्लेखना के समान है जो हमें प्रकाश की ओर ले जाती है एवं सूर्यास्त की लाली आत्मघात के समान है जो हमें अंधकार की ओर ले जाती है।

10. **सल्लेखना के अतिचार कौन-कौन से हैं ?**

आचार्य उमास्वामी ने तत्त्वार्थसूत्र में सल्लेखना के पाँच अतिचार कहे हैं-

जीवितमरणाशंसा मित्रानुरागसुखानुबन्ध निदानानि ॥ 7/37 ॥

जीवितआशंसा, मरणआशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबन्ध और निदान।

1. **जीवितआशंसा**-समाधि लेने के बाद अधिक जीने की इच्छा करना। कई बार ऐसा होता है कि

असाध्य रोग था, सल्लेखना में आहार की मात्रा घटने से रोग थोड़ा-थोड़ा ठीक होने लगता है, तब लगता है, समाधि क्यों ले ली अभी तो और भी जी सकते हैं।

2. **मरणआशंसा**-सल्लेखना के समय विशेष वेदना होती है, तो जल्दी-जल्दी मरण हो जाए ऐसी इच्छा करना।
3. **मित्रानुराग**-अपना बचपना याद करना। जैसे-मेरे ऐसे मित्र थे, जिनके साथ में क्रिकेट, बालीबाल, हॉकी, वीडियो गेम, बेडमिंटन और टेबिल टेनिस आदि खेला करता था।
4. **सुखानुबंध**-पूर्व में अनुभव किए हुए स्त्री, पुत्र, वैभव, नेता और अभिनेता जनित विविध सुखों का पुनः-पुनः स्मरण करना सुखानुबंध है।
5. **निदान**-इस तप का फल मुझे आगामी भव में भोग आदि मिले ऐसी आकांक्षा रखना। (स. सि., 7/37/724)

11. **सल्लेखना का फल क्या है ?**

अतिचार से रहित सल्लेखना करने वाला नियम से स्वर्ग जाता है, वहाँ के सुखों को भोगकर मनुष्य होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जिसने एक बार सल्लेखना धारण कर मरण किया है, वह अधिक-से-अधिक 7-8 भव में एवं जघन्य से 2-3 भव में नियम से मोक्ष चला जाता है। (र.क.श्रा., 130)

12. **कितनी गति के जीव सल्लेखना ले सकते हैं ?**

दो गति के जीव सल्लेखना ले सकते हैं-मनुष्य एवं तिर्यञ्चगति। सिंह, सर्प, गज आदि भी सल्लेखना लेकर स्वर्ग सम्पदा को प्राप्त करते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण आगम में भी मिलते हैं।

13. **एक मुनि की सल्लेखना कितने मुनि कराते हैं ?**

एक मुनि की सल्लेखना को 48 मुनि कराते हैं-

- 4 मुनि क्षपक के हाथ-पैर दबाना, सुलाना, बैठाना, खड़ा करना आदि कार्य करते हैं।
- 4 मुनि विकथाओं का त्याग कराकर धर्मोपदेश देते हैं।
- 4 मुनि क्षपक के योग्य श्रावकों के यहाँ से आहार लेकर आते हैं।
- 4 मुनि क्षपक के योग्य श्रावकों के यहाँ से पीने योग्य पेय लेकर आते हैं।
- 4 मुनि उस आहार की रक्षा करते हैं।
- 4 मुनि क्षपक को मल-मूत्र कराने तथा उसकी वसतिका संस्तर उपकरणों को शोधने का कार्य करते हैं।
- 4 मुनि वसतिका के द्वार का रक्षण करते हैं, जिससे वहाँ असंयमी प्रवेश न कर सकें।
- 4 मुनि क्षपक के पास रात्रि में जागरण करते हैं।
- 4 मुनि उस नगर की शुभाशुभ वार्ता का निरीक्षण करते हैं।
- 4 मुनि धर्मोपदेश देने के मण्डप के द्वार की रक्षा करते हैं।
- 4 मुनि श्रोताओं को सभामण्डप में आक्षेपणी आदि कथाओं का तथा स्व पर मत का सावधानी पूर्वक उपदेश देते हैं।
- 4 मुनि जो वादी मुनियों की रक्षार्थ सभा में इधर-उधर घूमते रहते हैं। (भगवती आराधना, 648-669)

नोट - अधिकतम 48 मुनि और कम-से-कम 2 मुनि भी सल्लेखना करा सकते हैं।

14. आचार्य एवं उपाध्याय परमेष्ठी सल्लेखना लेने के पूर्व सर्वप्रथम क्या करते हैं ?

आचार्य एवं उपाध्याय पद का त्याग करते हैं, क्योंकि साधु पद से ही मुक्ति होती है। आचार्य एवं उपाध्याय विशेष पद हैं, संघ की व्यवस्था के लिए आवश्यक हैं। कषाय कृश करने का अर्थ यह भी है कि इन पदों का त्याग करे और संघ को छोड़कर अन्यत्र समाधि के लिए जाए, क्योंकि शिष्यों को राग तो रहेगा ही, अतः समाधि में बाधा आ सकती है या सङ्घ को वहाँ से अन्यत्र विहार करा दें जैसा कि आचार्य श्री धरसेनजी ने किया था। आगम के निर्माता तीर्थङ्कर भी आगम की आज्ञा का पालन करते हैं। अर्थात् वे भी योग निरोध के लिए समवसरण का त्याग कर देते हैं। उसी प्रकार आचार्य एवं उपाध्याय भी पद एवं संघ का त्याग कर देते हैं। आचार्य श्री विद्यासागरजी के गुरु आचार्य श्री ज्ञानसागरजी ने भी सल्लेखना के पूर्व आचार्य पद का त्याग कर अपने ही शिष्य को अपना आचार्य पद देकर उन्हें अपना गुरु (आचार्य) माना और उन्हें ही निर्यापक आचार्य बनाकर समाधिमरण किया। यह इतिहास की विशेष घटना थी।

15. जो आचार्य समाधि कराते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं ?

समाधि कराने वाले आचार्य को निर्यापक आचार्य कहते हैं।

अभ्यास

सही या गलत बताइए -

1. काय और कषाय को कृश करने का नाम सल्लेखना नहीं है।
2. सर्दी, बुखार के होने पर सल्लेखना ले सकते हैं।
3. आँखों से दिखाई न देने पर सल्लेखना ले सकते हैं।
4. समाधिमरण में अकालमरण भी सम्भव है।
5. तीर्थङ्करों के शरीर छूटने को च्युत नहीं कहते हैं।
6. आर्यिकाओं के मरण को पण्डित मरण कहते हैं।
7. देवों में तीन प्रकार के मरण नहीं होते हैं।
8. सयोग केवली के मरण को पण्डित-पण्डित मरण कहते हैं।

अन्यत्र खोजिए -

1. निर्यापक आचार्य में कौन-कौन से गुण होते हैं ?
2. सल्लेखना के लिए सबसे अच्छी ऋतु कौन-सी है ?
3. यम सल्लेखना किसे कहते हैं ?
4. ऐसे अजैन व्यक्ति का नाम बताइए जिसकी जैनदर्शन के अनुसार सल्लेखना हुई थी ?
5. क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी जी की सल्लेखना कहाँ एवं किसके सान्निध्य में हुई थी ?